



सैनफ्रांसिस्को में ओशन बीच के ठीक उत्तर में गोल्डन गेट नेशनल रीक्रिएशन एरिया है, जहां कभी विश्व का सबसे बड़ा इन्डोर स्विमिंग पूल "सूरो बाथ्स" हुआ करता था। इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। जाने माने उद्योगपति और सैनफ्रांसिस्को के मेयर एडॉल्फ सूरो ने अपने क्लिफ हाउस के साथ ये स्नानागार बनवाए थे। उनका घर ओशन बीच की एक खड़ी चट्टान के किनारे पर टिका हुआ था। क्लिफ हाउस के नीचे एक छोटे से इनलैट (समुद्र या झील से जमीन पर आने वाली छोटी जलधारा) में यह स्नानागार बनाया गया था। कांच की एक बड़ी इमारत में ताजे पानी का एक पूल था तथा 6 पूल खारे पानी के थे, सबका अलग-अलग तापमान था। सूरो बाथ्स 150 मीटर लम्बे और 77 मीटर चौड़े थे और इसमें 18 से 20 लाख गैलन पानी आ सकता था। इनमें पानी भरने का सिस्टम बहुत अद्भुत था। जार के समय समीपवर्ती समुद्र से सीधे पानी आता था और एक घंटे में बाथ में भरा 20 लाख गैलन पानी रीसाइकल हो जाता था। लो टाइड (भाटा) के समय एक शक्तिशाली टरबाइन वॉटर पम्प 5 घंटे में टैंकों को भर देता था। यहां 500 से ज्यादा प्राइवेट डूबिंग रूम थे तथा 20,000 लोगों के लिए स्नान की सुविधा थी। पूल्स के अलावा एक म्यूजियम भी था, जिसमें वो वस्तुएं प्रदर्शित थीं जो सूरो ने मिस्र की यात्रा के दौरान एकत्रित की थीं। इसके अलावा स्टड पोलर बेअर और वनमानुष, अलास्का के टोटम पोल और मैक्सिको, चीन, एशिया व मध्य-पूर्व से एकत्रित पेंटिंग्स, टैपस्ट्रीज और कलाकृतियां भी थीं। सूरो बाथ बेहद लोकप्रिय थे पर ये फायदे का सौदा साबित नहीं हुए और इनका रखरखाव महंगा पड़ने लगा। धीरे-धीरे इनकी लोकप्रियता कम हो गई। फायदेमंद बनाने के लिए इसे आइस स्केटिंग रिक में बदल दिया गया, पर यह अपनी पुरानी लोकप्रियता कभी नहीं पा सका। बाद में एक प्रॉपर्टी डेवलपर ने यह इमारत खरीद ली, उसने टैंक तोड़ने शुरू किए ताकि वहाँ ऊंची इमारत बना सके। सन् 1966 में रहस्यमय तरीके से आग लगने के कारण बचावघुवा ढांचा भी नष्ट हो गया। लेकिन यहां कभी भी ऊंची इमारत नहीं बन पाई।

कर्मचारियों की धमकी, विधायकों का रवैया नहीं सुधरा तो आंदोलन करेंगे

अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कांग्रेस विधायकों के रवैये से पनप रहा है कर्मचारी संगठनों में विरोध

जयपुर, 19 मई (का.प्र.)। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस बार राज्य कर्मचारियों को खुश करने के जहां हर जतन कर रही है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायकों द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्यवाहियों के बाद कर्मचारियों में सरकार के प्रति लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों के हितों में किए गए फैसलों के बावजूद कर्मचारी सरकार के प्रति खफा नजर आते हैं।

बाड़ी विधायक गिरांज मलिंगा और उनके समर्थकों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों से मारपीट की घटना के अलावा एसीबी की ओर से

आर.ए.एस. अधिकारी को बुलाकर पूछताछ करने के मामले हो चुके हैं और अब आदिवासी विधायक गणेश घोषरा और उनके समर्थकों द्वारा एसडीएम को बंद करने का मामला चर्चा में है। इन सब मामलों को लेकर राजस्थान के कर्मचारियों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा पनपता दिख रहा है। कर्मचारी महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री से इन तमाम मामलों को लेकर ज्ञापन देने तथा विधायकों के रवैये की शिकायत करने की तैयारी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे विधायकों की ज्यादातर अब ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है।

कर्मचारी संगठन से जुड़े एक

कर्मचारी का कहना है कि राज्य के कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में नए-नए एडिवाइस फैसले कर आयास स्थापित कर रहे हैं। इन फैसले में पुरानी रीजन योजना लागू करना, आर.जी.एच.एस. योजना, विभिन्न भत्ते बढ़ाये जाना, 3 लाख कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेशों पर रोक लगाने समेत अनेकों कर्मचारी हित के कार्यों के बावजूद विधायकों की ओर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को ऑफिस में बंद कर देने, उनसे मारपीट करने तथा उनको स्थानान्तरण की धमकिया देने सहित मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। कर्मचारी नेता इसकी कड़ी निन्दा करते हैं। इस मामले को लेकर

कर्मचारी महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता एवं नरेंद्र नेता नरेन्द्र सिंह शेखावत, राजस्थान नरेंद्र एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी, प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने व दोषी लोगों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देंगे।

इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों व अधिकारियों को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया तो राज्य के समस्त कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाकर प्रभावों आन्दोलन किया जायेगा।

सिद्ध को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि उन्हें निन्दनीय मानव-वध का अपराधी माना जाये, हालांकि यह इंडियन पैनल कोड (आई.पी.सी.) की धारा 304ए के तहत, हत्या के समकक्ष न हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका पर अपने निर्णय को 25 मार्च को सुरक्षित रख लिया था, जो याचिका इसी अदालत के उस आदेश पर पुनर्विचार हेतु लगाई गई थी, जिस आदेश में सिद्ध को इसी केस में 1000 रु. का जुर्माना करके छोड़ दिया गया था। अदालत ने सिद्ध को सजा में वृद्धि की मांग करने वाली इस पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर लिया। वादी के वकील सुधीर वालिया ने इस फैसले का स्वागत किया है। सिद्ध को आदेश दिया गया है कि इस सजा के सिलसिले में पटियाला कोर्ट के समक्ष आत्म समर्पण कर दें। इससे पूर्व, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 1000 रु. जुर्माना करने के बाद मुक्त कर दिया था। उन्हें ही गई इस सजा का कारण 1988 में हुए तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुए हादसे में किसी गुनाहम सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाना रहा।

धनवापसी हो सकती है। भारतीय स्टॉक मार्केट ने ग्लोबल ट्रेण्ड्स के कारण हाल ही के सप्ताहों में जबर्दस्त झटका खाया है। स्टॉक मार्केट के ट्रेण्ड्स जब कमजोर पड़ जाते हैं, तो विदेशी संस्थागत निवेशक अपने निवेश मूल्य: को बनाए रखने के लिए वहां से निकल लेते हैं। निवेशक इसके कारण निवेशक अपने शेयरों के मूल्य को रूप में कन्वर्ट कर बाजार छोड़ देते हैं जिससे रूप की विनिमय दर तुरंत प्रभाव से गिर जाती है।

यह वास्तव में वैसा ही है जैसा कि वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के तुरंत बाद हुआ था। वैश्विक बाजारों के परतित अविश्वासि रुख के कारण वित्तीय बाजार गिर गए थे। भारत के मामले में वैश्विक वित्तीय गिरावट स्टॉक और विदेशी विनिमय बाजारों के जरिए भारतीय बाजारों में प्रवेश कर गई थी। भारतीय रूप में आई गिरावट और गंभीर होती, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर.बी.आई.) ने बाजार में हस्तक्षेप कर रूप को सराहा दिया। आर.बी.आई. ने रूप एक मूल्य स्थिर करने के लिए अपने मुद्रा भण्डार की तिजोरी खोल दी है।

1948 में आज़ादी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक्सपर्ट्स ने इन खबरों पर यह कहते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है कि चूक जीवन का अन्त नहीं है, बल्कि यह सुधारों और पुनर्निर्माण के एक नए चरण की शुरुआत है।

यह बात भारत जैसे देश के मामले में अधिक सच जान पड़ती है। जैसा कि हमने देखा है वर्ष 1991-92 में विदेशी भुगतानों में चूक के खतरे ने भारतीय आर्थिक बाजार कार्यक्रमां की शुरुआत की थी, जो कि देश की आर्थिक संरचना के लिए सर्वाधिक महत्वाकांक्षी और व्यापक बदलाव थे और इन्होंने आर्थिक वृद्धि तथा विकास का सूत्रपात किया। बाजार में आयी वर्तमान निराशा का कारण यह धारणा है कि अब मंदी आने वाली है। परिणामस्वरूप बड़े केन्द्रों से वित्तीय बाजार खिसक रहे हैं। शेयरों की कीमतें धराशायी हो रही हैं और बैंड्वॉल से मुनाफा बढ़ रहा है।

वित्तीय बाजारों की अनिश्चिता और विपरीत रुख के समय में निवेशक प्राय: जोखिमपूर्ण परिस्थितियों से किनारा कर अमेरिकी डॉलर वाली सेफ हवन परिस्थितियों को शरण में जाते हैं। इससे उभरते बाजारों में तुरंत प्रभाव से कुछ

के रूप में भाग लेने के लिए ताइवान को आमंत्रित करने और मई में आयोजित होने वाले 75वें डब्ल्यू.एच.ए. में समाधान संबंधित चर्चाओं में ताइवान को अपनी विशेषज्ञता जाहिर करने का मौका दे।

विदेश मंत्री ने कि ताइवान वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय का एक सक्षम और जिम्मेदार सदस्य है और इसकी क्षमताएं और इसकी क्षमताएं एवं दृष्टिकोण डब्ल्यू.एच.ए. चर्चाओं की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, ताइवान को इससे बाहर रखने का कोई तुक नहीं बनता,

बल्कि इसे शामिल करने से ही दुनिया की भलाई है। ब्रिटेन के मुताबिक वैश्विक महामारी के समय में पूरी दुनिया एकजुट रहा है, ऐसे में ताइवान को अलग-थलग रखना कदापि उचित नहीं है।

चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका चीन के आंतरिक मामलों में दखल देता है, तो चीन अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाएगा। चीन के विदेश मामलों के लिए केंद्रीय आयोग के कार्यालय के निदेशक यांग जिएचो ने अमेरिका के राष्ट्रीय

सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से दूरभाष पर हुई वार्ता के दौरान यह बात कही।

चीन के विदेश मंत्रालय ने वांग के हवाले से कहा, चीन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा और जो हमने कहा है उसे करके दिखायेंगे।

वांग के अनुसार अमेरिका ने एक के बाद एक लगातार चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और उसके राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले गलत कार्यों और बयानों की कतार लगा दी है।

‘पेपर लीक की घटनाओं के पीछे बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण’

मुख्यमंत्री का तर्क है-बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, पेपर लीक के गैंग बनेंगे

जयपुर, 19 मई (का.प्र.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार ही पेपर लीक की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी को माना है उनका कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं उसका कारण है कि बेरोजगारी फैल रही है और देश में बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है। रीट के बाद काँस्टेबल भर्ती परीक्षा का पचास लीक होने संबंधी सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायक गणेश घोषरा की ओर से दिए गए इस्तीफे पर कहा कि वैभव का आदमी है हम उन्हें मना लेंगे। इसी के साथ मर्डर केस में गिरफ्तार उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के भाई के मामले को लेकर इतनी कड़ी संख्या में नौकरियां निकाली हैं, उसका फायदा तो मिले।

गणेश घोषरा के इस्तीफे पर गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में गणेश घोषरा ने कहा था कि "हमारे मुख्यमंत्री गांधीवादी नेता हैं। आप समझ जाओ, मुख्यमंत्री गांधीवादी हैं, तो एसडीओ को बंद करने वाला काम तो

- "आदमी जब फ्रस्ट्रेशन में होता है तो क्राइम करता है, नशा करता है, क्या-क्या नहीं करता?"
- घोषरा मामले में कहा-युवा विधायक भावुक हैं, मना लेंगे।

है काफी हद तक उसके पीछे भी कारण होता है कि आदमी जब फ्रस्ट्रेशन में होता है तो क्राइम करता है, नशा करता है, क्या क्या नहीं करता? रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा और पेपर लीक जैसी घटनाएं गैंग बनाकर होंगी जो कि हो रही हैं। हर राज्य में होने लगी है। यूपी में बहुत बड़ी घटना हुई थी। राजस्थान में कानून पास किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं को रोजगार मिले। इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां निकाली हैं, उसका फायदा तो मिले।

गणेश घोषरा के इस्तीफे पर गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में गणेश घोषरा ने कहा था कि "हमारे मुख्यमंत्री गांधीवादी नेता हैं। आप समझ जाओ, मुख्यमंत्री गांधीवादी हैं, तो एसडीओ को बंद करने वाला काम तो

गांधीवादी नहीं है। गणेश घोषरा हमारा नौजवान साथी है, भावुक आदमी है। इस्तीफे की घोषणा की होगी हम समझाइए करेंगे, मान जाएगा। वे जनता के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उनकी तारीफ करनी चाहिए।" गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि जनता से कनेक्शन जोड़ो, जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाना चाहिए। राजनीति में काम करने वालों का यही असली काम होता है कि जनता के बीच जाएं, जनसुनवाई करें। पर वहां घटना दूसरी हो गई, अति उत्साह में एसडीओ को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान में कानून का राज है, कानून का राज रहना चाहिए। इसलिए एसडीओ को बंद करने की एफआईआर दर्ज हो गई। मैंने तनाव के वक्त भी कहा था और अब भी

खुले तौर पर कह रहा हूँ कि कोई हिंसा करवाएगा, दंगे करवाएगा तो कानून अपना काम करेगा। गणेश घोषरा को इसलिए फौल हुआ होगा कि एफआईआर दर्ज हो गई, कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी हुई होगी।

उप सचेतक महेंद्र चौधरी के भाई पर मर्डर केस में गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ने कहा मंत्री, विधायक अपने पद का दुरुपयोग कर किसी परिजन को बचाए तो आप आरोप लगाएंगे कोई गलत काम करता है तो कानून अपना काम करेगा तो मैंने पुलिस को दो टुक कह रखा है कि अपराध के मामले में निष्पक्ष होकर काम करना है, राजनीतिक सिफारिश नहीं माननी है।

‘गेहूँ के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुमति के आधार पर गेहूँ के निर्यात की अनुमति गिराफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा अन्य देशों के अनुरोध पर भी सरकार निर्यात की अनुमति देगी।

आज़म खान को जमानत

नई दिल्ली, 19 मई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आज़म खान को अंतरिम जमानत की अर्जी गुरुवार को स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवयी और ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान

- आज़म खान की जमानत भी ऐसे मौके पर हुई है, जब आगामी जुलाई में रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है।

के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत का आदेश पत्रित करते हुए याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री को संबंधित अदालत के समक्ष दो सप्ताह के भीतर नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस लिमिटेड के अध्यक्ष पद से हटाने के कंपनी के फैसले को फिर बरकरार रखा

नई दिल्ली, 19 मई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस लिमिटेड के अध्यक्ष पद से हटाने के टाटा समूह की कार्यवाही को सही ठहराने वाले अपने पिछले साल के एक फैसले पर पुनर्विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रह्मण्यन की पीठ ने साइरस मिस्त्री की याचिका खारिज कर दी।

याचिका शाफ़ूजी पल्लेनजी समूह दायर की गई थी, जिसमें शीर्ष अदालत से 26 मार्च 2021 में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई गई थी।

- वर्ष 2016 से चल रहा इस विवाद में टाटा समूह को एक बार फिर शीर्ष अदालत के फैसले ने राहत दी है। रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को वर्ष 2016 में टाटा संस का अध्यक्ष नियुक्त किया था लेकिन कुछ ही समय बाद रतन टाटा एवं साइरस मिस्त्री के बीच रिश्तों में कुछ खटास आ गई और उन्होंने साइरस मिस्त्री को पद से हटाने का निर्णय लिया।

उच्चतम न्यायालय ने 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए. टी.) के 18 दिसंबर 2019 के उस फैसले को पलट दिया था, जिसने टाटा संस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री को बहाल करने का आदेश दिया था।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने मिस्त्री पर की गई कुछ खास टिप्पणियों को हटाने की उम्मीद गुहार संबंधी एक आवेदन को स्वीकार कर लिया। साइरस मिस्त्री ने उनका टिप्पणियों का विरोध किया था।

वर्ष 2016 से चल रहे इस विवाद में टाटा समूह को एक बार फिर शीर्ष अदालत के फैसले ने राहत दी है। रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को वर्ष 2016 में टाटा संस का अध्यक्ष नियुक्त किया था लेकिन कुछ ही समय बाद रतन टाटा एवं साइरस मिस्त्री के बीच रिश्तों में कुछ खटास आ गई और उन्होंने साइरस मिस्त्री को पद से हटाने का निर्णय लिया।

जी.एस.टी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समर्थन करते हुये, न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जी.एस.टी. कार्डसिल की अनुशंसाएं केवल "विश्र्वासोत्पादक (पर्सुएसिव)" हैं, बाध्यकारी नहीं।" बेंच ने कहा कि जी.एस.टी. कार्डसिल की भूमिका यहीं तक सीमित है कि वह केन्द्र तथा राज्य सरकार को उचित रूप से सलाह दे। बेंच के अन्य दो जज थे- न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं विक्रम नाथ।

फैसले में कहा गया है, "सरकार, सी.जी.एस.टी. एक्ट तथा आई.जी.एस.टी. एक्ट के प्रावधानों के तहत, कानून बनाने के अधिकारों को काम में लेते समय, जी.एस.टी. कार्डसिल की सिफारिशों से बाध्य है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अनुच्छेद 279ए (4) के आधार पर की गई जी.एस.टी. कार्डसिल की सभी सिफारिशें प्राथमिक कानून बनाने के मामले में विधायिका की शक्ति का बाध्य करने वाली हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दी। किन्तु प्रबंध समिति के एक अधिकारी ने कहा है, "धर्मनिष्ठ लोग वज्र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह नलों का पानी उपलब्ध है, वह जगह सील कर दी गई है। हमने नमाजियों से निवेदन किया है कि वे मस्जिद आने से पहले अपने घर पर ही वज्र कर लें। वाराणसी की अंबुजम इन्तजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ वकील हुज़ैफ़ा अहमददी ने बेंच से कहा कि उनकी "आशंका केवल यह है कि वज्र खाना के पास वाली एक दीवार को गिराने के लिये कोई अर्जी लगा दी गई है" तथा आगे की कार्यवाही कर रही है।

बेंच ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने स्थगना का निवेदन किया था, ने कहा कि दूसरे पक्ष द्वारा व्यक्त डर/आशंका को मद्देनजर रखा जाये, वे गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिये दबाव न डालें।

वकील इस सुझाव से सहमत हो गये तथा अदालत ने इसे रिकर्ड पर ले लिया तथा ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश की कठोरता से अनुपालना करे तथा इस मुकदमें की आगे कोई भी कार्यवाही करने से स्वयं को दूर रखे।